(2) Every such person unless disqualified under this Act or any other law for the time being in force shall be qualified to be [1][elected] as office-bearer of a [2][x x x] Panchayat.

धारा 15. एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध (Prohibition)– कोई व्यक्ति किसी पंचायत के पदधारी के रूप में निर्वाचन के लिए यथास्थिति एक से अधिक वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों से खड़ा होने के लिए पात्र नहीं होगा ।

Sec. 15. Prohibition of simultaneous membership.-No person shall be eligible for seeking election as an office bearer of a Panchayat from more than one ward or constituency as the case may be.

[3][**धारा 16. * * * * ***]

[4][**Sec. 16. x x x x**]

धारा 17. सरपंच और उपसरपंच का निर्वाचन– (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सरपंच तथा एक उपसरपंच होगा ।

कोई व्यक्ति जो–

(एक) पंच के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये अर्हित है ।

(दो) संसद के किसी भी सदन का सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य नहीं है और

(तीन) किसी सहकारी सोसायटी का सभापति या उप सभापति नहीं है ।

उपधारा (2) (3) और (4) के उपबंन्धों के अध्यधीन रहते हुए सरपंच के रूप में उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि में सम्मिलित है, ऐसी रीति से निर्वाचित किया जाएगा, जो विहित की जावें ।

(2) (एक) खण्ड के भीतर की ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये ग्राम पंचायत के सरंपचों में उतनी संख्या के स्थान आरक्षित रखे जावेगें, जिनका अनुपात खण्ड के सरपंचों को कुल संख्या के साथ वही होगा जो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों की जनसंख्या का खण्ड की कुल जनसंख्या के साथ है ।

[5][परन्तु उस खण्ड का भाग बन जाने वाले अनुसूचित क्षेत्रों से भिन्न किसी ऐसे खण्ड में अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित किये जाने वाले ग्राम पचांयत के सरपंच की संख्या की गणना करने के लिये उस खण्ड के भीतर आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों की कुल जनसंख्या तथा उसमें की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अपवर्जित कर दी जाएगी ।]

(दो) खण्ड में जहाँ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या पचास प्रतिशत से कम है, वहाँ खण्ड के भीतर ग्राम पंचायत में सरंपचों के कुल पदों के पच्चीस प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़ें वर्गो के लिये आरक्षित किये जाएंगें ।

(3) खण्ड के भीतर सरपंचों के स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक [6][आधे] स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित रखें जाएंगें ।

---

1. Subs. by M.P. 26 of 1994 [30.5.94].
2. Omitted by M.P. 26 of 1994 [30.5.94].
3. अधि. क्रं. 26 सन् 1994 द्वारा विलुप्त । (दिनांक 30.05.94 से प्रभावशील)
4. Omitted by M.P. 26 of 1994 [30.5.94].
5. म.प्र. पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधि. क्रं. 43 सन् 1997 द्वारा जोड़ा गया । (दि. 05.12.1997 से प्रभावशील)
6. म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम क्रं. 18 सन् 2007 द्वारा शब्द "एक तिहाई" के स्थान पर प्रतिस्थापित । (दिनांक 25.5.2007 से प्रभावशील)

(4) इस धारा के अधीन आरक्षित रखें स्थान विहित प्राधिकारी द्वारा खण्ड के भीतर ग्राम पंचायतों में विहित रीति में चक्रानुक्रम से आबंटित किये जाऐंगें :

[1][परन्तु ऐसी ग्राम पंचायत को, जिसमें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ें वर्ग की जनसंख्या नहीं है, यथा स्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित, जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित स्थानों के आबंटन से अपवर्जित कर दिया जाएगा ।]

[2][(5) राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायतों के प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात्, ग्राम पंचायतों के उपसरपंच का निर्वाचन तुरन्त ऐसी रीति में, जैसा कि विहित की जाए, करवाएगा ।]

(6) यदि ग्राम पंचायत या सरपंच अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, या अन्य पिछड़े वर्गो का नहीं है, तो उपसरपंच ऐसी जातियों या ऐसी जनजातियों या ऐसे वर्गो के पंचों में से निर्वाचित किया जाएगा ।

(7) यदि सरपंच या उपसरपंच, संसद के किसी सदन का सदस्य था, राज्य विधान सभा का सदस्य या किसी सहकारी सोसायटी का सभापति या उपसभापति हो जाता है, तो उसके सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि उसने यथा स्थिति संरपंच या उपसरंपच के रूप में अपना पद उस तारीख से रिक्त कर दिया है, जिसको वह ऐसा सदस्य या सभापति या उपसभापति हुआ है और यह समझा जाएगा कि ऐसे पद में धारा 38 के प्रयोजन के लिये आकस्मिक रिक्ति हो गई है ।

(8) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, सरपंच को इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिये ग्राम प्रचायत का पंच समझा जाएगा ।

Sec. 17. Election of Sarpanch and Up-Sarpanch.-(1) In every Gram Panchayat there shall be a Sarpanch and an Up-Sarpanch. A person who—

(i) is qualified to be elected as panch;

(ii) is not a member of either House of Parliament or member of State Legislative Assembly; and

(iii) is not Chairman or Vice-Chairman of Co-operative Society; shall be elected as a Sarpanch, subject to provisions of sub- sections (2), (3) and (4), by persons whose names are included in the list of voters of the Gram Panchayat area in such manner as may be prescribed.

(2) (i) Such number of seats of Sarpanchas of Gram Panchayats shall be reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Gram Panchayat within the block which bears the same proportion to the total number of Sarpanchas in the block as the proportion of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the block bears to the total population of the block:

[3][Provided that for the purpose of computing the number of Sarpanch of Gram Panchayat to be reserved for Scheduled Tribes in the block, other than the Scheduled Areas forming part of that block, the total population of the Scheduled Areas falling within that block and the population of Scheduled Tribes therein shall be excluded.]

1. म.प्र. अधिनियम क्रं. 39 सन् 1995 द्वारा स्थापित । (दि. 15.12.95 से प्रभावशील)
2. म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम क्रं. 20 सन् 2005 द्वारा प्रतिस्थापित । (दिनांक 30.8.2005 से प्रभावशील)
3. Added by MP 43 of 1997 [5-12-1997].

[1][(iv) One-fifth of the Sarpanchas in the territorial area of the Janpad Panchayat by rotation for a period of one year as the prescribed authority may determine by drawing lots: Provided that a Sarpanch who is a member under this clause for one term shall not be eligible to become a member for another term:

Provided further that a Sarpanch who is member under this clause shall not be a member of the committees under Section 47.]

[2][(2), (3), (4), (5) and (6) xxx]

[3][(7) If any constituency fails to elect a member, fresh election proceedings shall be commenced in such constituency within six months to fill the seat:

Provided that further proceedings of election of President and Vice-President of Janpad Panchayat shall not be stayed pending the election of a member in accordance with this sub-section:

Provided further that if any constituency again fails to elect a member fresh election proceedings shall not be commenced in such constituency unless the State Election Commission is satisfied that there is likelihood of the constituency electing a member].

धारा 23. खण्ड का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन– (1) उपधारा (2) के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी खण्ड को इतनी संख्या में निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित करेगी, जिससे कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथासाध्य पांच हजार हो और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होगा :

परन्तु जहाँ किसी खण्ड की जनसंख्या 50 हजार से कम है, वहाँ उस खण्ड को कम से कम दस निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा और प्रत्येक खण्ड की जनसंख्या तथा शाक्य एक समान होगी।

परन्तु यह और भी किसी खण्ड में निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या पच्चीस से अधिक नहीं होगी ।

(2) किसी जनपद पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या के और ऐसी जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या के बीच का अनुपात, सम्पूर्ण राज्य में यथासाध्य एक जैसी ही होगा ।

(3) (एक) प्रत्येक जनपद पंचायत में-

(क) अनुसूचित जातियों, और

(ख) अनुसूचित जनजातियों,

के लिये स्थान आरक्षित रखे जांएगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस जनपद पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ यथासाध्य वही होगा जो उस जनपद पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस जनपद पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या के

1. Ins. by M.P. 2 of 1997 [7-1-1997].
2. Sub-sections (2) to (6), Omitted by M.P. 26 of 1994 [30.5.94].
3. Subs. by M.P. 26 of 1994 [30.5.94].

साथ है और ऐसे स्थान विहित प्राधिकारी द्वारा उस जनपद पंचायत में विहित रीति में भिन्न-भिन्न [1][निर्वाचन क्षेत्रों] के लिये [2][****] आबंटित किये जा सकेंगे ।

[3][परंतु उस जनपद पंचायत क्षेत्र का भाग बन जाने वाले अनुसूचित क्षेत्रों से भिन्न किसी ऐसे जनपद पंचायत के अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या की गणना करने के प्रयोजन के लिए उस जनपद पंचायत के भीतर आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों की कुल जनसंख्या तथा उसमें की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अपवर्जित कर दी जाएगी ।

(दो) किसी जनपद पंचायत में जहाँ अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों, दोनों के लिये पचास प्रतिशत या पचास प्रतिशत से कम स्थान आरक्षित किये गये हैं वहाँ कुल स्थानों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किये जाएंगे और ऐसे स्थान भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को विहित रीति में चक्रानुक्रम में कलेक्टर, द्वारा आबंटित किये जाएंगे ।

(4) उपधारा (3) के अधीन, आरक्षित किए स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या यथास्थिति अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे ।

(5) प्रत्येक जनपद पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम [4][आधे] स्थान (जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) महिलाओं के लिये आरक्षित रखे जाएंगे और ऐसे स्थान विहित प्रधिकारी द्वारा जनपद पंचायत में विहित रीति में भिन्न-भिन्न [5][निर्वाचन क्षेत्रों] के लिये निकालकर और चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे ।

[6][* * *]

[7][(6) ऐसे निर्वाचित क्षेत्रों को, जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या नहीं है, यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित स्थानों के आबंटन से अपवर्जित कर दिया जायेगा ।]

Sec. 23. Division of block into constituencies.- (1) Subject to the provisions of sub-section (2), the State Government shall by notification divide a block into such number of constituencies that each constituency has as far as practicable a population of five thousand and every constituency shall be a single member constituency :

Provided that where the population of a Block is less than fifty thousand it shall be divided into not less than ten constituencies and the population of each constituency shall as far as practicable be the same in each constituency :

1. अधिनियम क्रमांक 26 सन् 1994 के द्वारा प्रतिस्थापित । दिनांक 30-5-1994 से प्रवृत्त ।
2. अधिनियम क्रमांक 5 सन् 1999 के द्वारा विलुप्त । दिनांक 5-4-1994 से प्रवृत्त ।
3. अधिनियम क्रमांक 43 सन् 1997 के द्वारा जोड़ा गया । दिनांक 5-12-1997 से प्रवृत्त ।
4. म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम क्रमांक 18 सन् 2007 द्वारा शब्द "एक तिहाई" के स्थान पर प्रतिस्थापित । दिनांक 25-5-2007 से प्रवृत्त ।
5. अधिनियम क्रमांक 26 सन् 1994 के द्वारा प्रतिस्थापित । दिनांक 30-5-1994 से प्रवृत्त ।
6. अधिनियम क्रमांक 5 सन् 1999 के द्वारा विलोपित । दिनांक 5-4-1999 से प्रवृत्त ।
7. अधिनियम क्रमांक 5 सन् 1999 के द्वारा अन्तःस्थापित । दिनांक 5-4-1999 से प्रवृत्त ।

[1][(6) The constituencies which have no population of Scheduled Castes, heduled Tribes or Other Backward Classes shall be excluded for allotment of ats reserved for. Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes, the case may be.]

[2][धारा 24. * * * *]

[3][Sec. 24. x x x]

धारा 25. जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन– [4][(1) राज्य निर्वाचन योग, पंचायतों के प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात्, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का र्वाचन तुरन्त ऐसी रीति में, जैसा कि विहित की जाए, करवाएगा ।]

(2) (एक) जनपद पंचायत के अध्यक्ष का पद-

(क) अनुसूचित जातियों; और

(ख) अनुसूचित जनजातियों;

लिए आरक्षित रखा जाएगा और जिले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्षित अध्यक्ष के पदों की संख्या का अनुपात उस जिले में ऐसे पदों की कुल संख्या के साथ ासाध्य वही होगा जो उस जिले में यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की संख्या का जिले की कुल जनसंख्या के साथ है :

[5][परन्तु उस जिले का भाग बन जाने वाले अनुसूचित क्षेत्रों से भिन्न किसी जिले के सूचित जनजातियों के लिये आरक्षित किए जाने वाले जनपद पंचायत के अध्यक्ष के पदों की संख्या गणना करने के प्रयोजन के लिए उस जिले के भीतर आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों की कुल जनसंख्या । उसमें की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अपवर्जित कर दी जाएगी;]

परन्तु यह और भी कि जनपद पंचायत के अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या के कम से [6][आधे] पद न्यूनतम एक के अध्यधीन रहते हुए महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएगे;

परन्तु यह भी कि इस धारा के अधीन आरक्षित पद विहित प्राधिकारी द्वारा जिले के भीतर, पद पंचायतों में विहित रीति में चक्रानुक्रम से आरक्षित किए जाएगे;

परन्तु यह भी कि ऐसी जनपद पंचायतों को, जहाँ यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या सूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण नहीं है, यथास्थिति ऐसी जातियों या जनजातियों अध्यक्ष के पदों का आरक्षण करने के लिए अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

(दो) जिले में जहाँ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या पचास प्रतिशत से कम है, वहाँ जिले के भीतर जनपद पंचायतों के अध्यक्षों में से पच्चीस प्रतिशत पद अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

Ins. by M.P. Act 5 of 1999 [5-4-1999].

अधिनियम क्रमांक 26 सन् 1994 के द्वारा विलोपित । दिनांक 30-5-1994 से प्रवृत्त ।

Omitted by M.P. 26 of 1994 [30.5.94].

म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम क्रमांक 20 सन् 2005 द्वारा प्रतिस्थापित । दिनांक 30-8-2005 से प्रवृत्त ।

अधिनियम क्रमांक 43 सन् 1997 के द्वारा अन्तःस्थापित/प्रतिस्थापित । दिनांक 5-12-1997 से प्रवृत्त ।

अधिनियम क्रमांक 18 सन् 2007 के द्वारा प्रतिस्थापित । दिनांक 25-5-2007 से प्रवृत्त ।

[1][(3) उपधारा (2) और (4) के अध्यधीन रहते हुए, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा तथा उनमें से निर्वाचित किए जाएगे ।]

(4) यदि किसी जनपद पंचायत का अध्यक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गो का नहीं है तो उपाध्यक्ष ऐसी जातियों या जनजातियों या ऐसे वर्गों में से निर्वाचित किया जायेगा ।

(5) यदि किसी जनपद पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष संसद के किसी सदन का सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य या किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति या उपसभापति हो जाता है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा, कि उसने यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में अपना पद उस तारीख से रिक्त कर दिया है, जिसको कि वह ऐसा सदस्य या सभापति या उप सभापति हुआ है, और धारा 38 के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा, कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है ।

Sec. 25. Election of President and Vice-President of Janpad Panchayat.-

[2][(1) After every election of Panchayats the State Election Commission shall immediately hold the elections of President and Vice President of Janpad Panchayats, in such manner as may be prescribed.]

(2) (i) Office of President of Janpad Panchayat shall be reserved for-

(a) the Scheduled Castes; and

(b) the Scheduled Tribes,

and the number of offices of President reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the district shall bear as nearly as may be, the same proportion to the total number of such offices in the district as the population of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, bears to the total population of the district :

[3][Provided that for the purpose of computing the number of offices of President of Janpad Panchayat to be reserved for Scheduled Tribes in the district other than the Scheduled Areas forming part of that district, the total population of the Scheduled Areas falling within the district and the population of .Scheduled Tribes therein should be excluded. :]

Provided further that not less than [4][half] of the total number of offices of President of Janpad Panchayat subject to a minimum of one shall be reserved for women :

Provided also that the offices under this section shall be reserved by the prescribed authority in the Janpad Panchayat within the district by rotation in the prescribed manner :

Provided also, that Janpad Panchayats where there is no reservation of seats for the Scheduled Castes or Scheduled Tribes as the case may be, shall be

1. अधिनियम क्रमांक 26 सन् 1994 के द्वारा प्रतिस्थापित । दिनांक 30-5-1994 से प्रवृत्त ।
2. Subs. by M.P. Act 20 of 2005, w.e.f. 30-8-2005.
3. Ins. by MP 43 of 1997 [5-12-1997].
4. Sub. for the word "one- third" by M.P. Act 18 of 2007 [25-5-2007).